भांडागारों के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

कोई व्यक्ति जो भांडागारण व्यवसाय शुरू करना चाहता है अथवा चला रहा है तथा परक्राम्य भांडागार रसीदें जारी करने का इच्छुक है, उसे भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के पास अपने भांडागार का पंजीकरण कराना होगा । भांडागारण(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 तथा भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 डब्ल्यूडीआरए के पोर्टल पर "अधिनियम तथा नियम" सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध हैं । नियमों तथा विनियमों में संशोधन, बीमा संबंधी परिपत्र तथा निरीक्षण हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त भी प्राधिकरण के पोर्टल पर उपलब्ध हैं । पहली नवम्बर, 2017 से भांडागारों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है, अत: भांडागारों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे । भांडागारों के पंजीकरण के लिए विस्तृत अनुदेश/निर्देश डब्लूडीआरए के पोर्टल पर उपलब्ध है ।

1. प्रक्रिया

i. आवेदक भांडागार, प्राधिकरण के वैबसाइट पर पंजीकरण करने के एवं साइन इन करने के बाद भांडागार के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें ।

ii. गैर व्यक्ति भांडागार प्रचालकों को अपने आवेदन दो भागों में प्रस्तुत करने होंगे । पहले भांडागारपाल पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा । भांडागारपाल का अनुमोदन होने के पश्चात, भांडागार (गारों) पंजीकरण के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा ।

iii. **पंजीकरण के लिए शुल्क:**

भांडागारों के पंजीकरण अथवा नवीकरण के लिए आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) निम्ननुसार होगा । भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय शुल्क भी ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा :-

पंजीकरण की इकाई	शुल्क (अप्रतिदेय)
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन या कम है	20,000 रु

प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन से अधिक लेकिन 25,000 से कम अथवा25,000 टन के समकक्ष है	25,000 रु
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 25,000 टन से अधिक है	30,000 रु

जहां आवेदक/ भांडागारपाल कृषक उत्पादक संगठन अथवा सहकारी संस्था है, उसके लिए प्रति भांडागार पंजीकरण अप्रतिदेय शुल्क 5,000/- रु होगा ।

iv. ऑनलाइन आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज़ नीचे पैराग्राफ 2 में दी गई सूची के अनुसार तथा पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रस्तुत करें ।

v. प्राधिकरण ने अब तक 123 कृषि वस्तुएं तथा 26 बागवानी वस्तुएँ परक्राम्य भंडारण रसीदेंजारी करने के लिए अधिसूचित की हैं । वस्तुओं की सूची प्राधिकरण के वैबसाइट पर उपलब्ध है तथा ड्रॉप डाउन के रूप में ऑनलाइन आवेदन के साथ लिंक भी की गई है । आवेदक द्वारा जिस भांडागार का पंजीकरण प्रस्तावित किया गया है, उसमे वस्तुओं के नाम निर्दिष्ट करने होंगे जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय नाम ड्रॉप डाउन से लिए जा सकते है ।

vi. यदि आवेदन सही पाया जाएगा तो, प्राधिकरण संबंधित भांडागार की अवसंरचना तथा अन्य विवरणों का सत्यापन करने हेतु भौतिक निरीक्षण कराएगा । अवसंरचनात्मक अपेक्षाओं से संबंधित दिशा-निर्देश तथा भौतिक निरीक्षण से संबंधित चैक लिस्ट प्राधिकरण की वैबसाइट पर उपलब्ध है । पारदर्शिता तथा कुशलता के लिए भांडागारों का निरीक्षण भी ऑनलाइन किया गया है ।

vii. प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अवसरंचमात्मक एवं अन्य अपेक्षाओं के अनुसार यदि भौतिक निरीक्षण अनुपालन के लिए सही है । तत्पश्चात आवेदक को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार प्रतिभूति जमा भी प्रस्तुत करनी होगी ।

viii. यदि प्रतिभूति जमा निर्धारित समय सीमा में जारी की जाती है तो, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसमे संबंधित भांडागारपाल की ID तथा भांडागार की ID होगी ।

2. आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़

भांडागार के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने होंगे । अत: आवेदक को ऑनलाइन आवेदन भरते समय इन दस्तावेजों की स्कैन प्रतियों तैयार रखनी चाहिए (सिस्टम में अथवा पैन ड्राइव में)।

क्रम सं.	प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़
i.	प्राधिकृत/ सहायक प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोग्राफ
ii.	भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 की पाँचवी अनुसूची में यथापेक्षित आवेदक की पहचान का प्रमाण
iii.	प्राधिकृत/ सहायक प्राधिकृत प्रतिनिधि की पहचान तथा पते का प्रमाण (गैर व्यक्ति संस्थाओं के मामले मे)
iv.	मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ
v.	भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 के नियम 18 (5)एवं 20.03.2018 को यथासंशोधित के अधीन नेटवर्थ के समर्थन में दस्तावेज़
vi.	भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 के नियम 17 अधीन यथाविहित बीमा पालिसियों की प्रति । (विवरण डब्लूडीआरए के पोर्टल पर, 'दस्तावेज़ परिपत्र सेक्शन में' दिनांक 27.04.2017 के परिपत्र अनुसार उपलब्ध है) ।
vii.	भांडागार का ले-आउट प्लान
viii.	कोल्ड स्टोरेज के मामले में बेसिक डाटाशीट
ix.	तकनीकी मानकों बारे में सबूत जिनके अधीन भांडागार (कोल्ड स्टोरेज) निर्मित किया गया
x.	भांडागार में माल के परिरक्षण के लिए उपलब्ध उपस्करों की सूची
xi.	भांडागार में माल के परखने के लिए उपलब्ध उपस्करों की सूची
xii.	भांडागार में माल के तोलने के लिए उपलब्ध उपस्करों की सूची (अंतरिक तथा बाहरी लोरी वे ब्रिज की जानकारी भी देनी होगी)
xiii.	भांडागार में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था
xiv.	यदि भांडागार स्वामित्वाधीन है: भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 की छठी अनुसूची के अनुसार उस भूमि के संबंध में

	जिस पर संबंधित भांडागार अवस्थित है के अधिकार-अभिलेख या रजिस्ट्रीकृत हक विलेख ।
xv.	भांडागार पर प्रभावी नियंत्रण को प्रदर्शित करने वाला दस्तावेज़, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 की पहली अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कोई : (i) पट्टा अभिलेख या भाटक करार, (ii) उप-पट्टा करार और यह उपदर्शित करता हुआ पट्टा अभिलेख कि उप-पट्टे पर देना अनुज्ञात है, (iii) राजस्व साझा करने वाला करार, (iv) यथास्थिति, नगर निगम/पंचायत/स्थानीय निकाय से एन ओ सी, (v) सम्बंधित एपीएमसी से पट्टा करार,(vi) राज्य सरकार से आबंटन पत्र की प्रति । आवेदन में सूचीबद्ध प्रत्येक भांडागार के लिए पृथक।

3. पंजीकरण पश्चात अनिवार्यताएँ -

i. पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद, भांडागारपाल को इसे अपने व्यवसाय के प्रमुख एवं स्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करना होगा । ऐसा तब तक किया जाता रहेगा जब तक प्रमाण पत्र निलंबित नहीं किया जाता अथवा वापिस नहीं लिया जाता । तथापि वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन भांडागारपाल लॉगइन में भी उपलब्ध है ।

ii. पंजीकरण प्रमाण पत्र अहस्तान्तरणीय है ।

iii. प्राधिकरण अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि बिना पूर्व सूचना के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत भांडागार के स्टॉक, बही, रेकॉर्ड तथा लेखा संबन्धित कागजातों का निरीक्षण या जांच कर सकता है ।

4. पंजीकृत भांडागार द्वारा निष्पादन अपेक्षाएँ –

क) **पंजीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन :** कोई भांडागारपाल सभी समयों पर निम्नलिखित का अनुपालन करेगा –

i. भांडागार का प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना;

ii. पंजीकरण नियमों के अनुसार उचित और समुचित व्यक्ति होने की अपेक्षा;
iii. पंजीकरण नियमों में यथाकथित बीमा अपेक्षाएँ का अनुपालन;
iv. यथाकथित न्यूनतम शुद्ध मूल्य संबंधी अपेक्षाएँ;
v. निर्धारित समय अंतराल के अनुसार प्रतिभूति जमा अपेक्षाएँ;
vi. नियम 20 के अधीन यथा अपेक्षित अवसंरचना अपेक्षाएँ, और
vii. मानक प्रचालन प्रक्रिया का अनुपालन;

ख) प्रत्येक भांडागारपाल पंजीकारण नियमों के अधीन विभिन्न जमकर्ताओं के संबंध में 'अपने जमकर्ताओं का परिचय' का विवरण रखेगा;

ग) भांडागारपाल के सामान्य दायित्व

भांडागारपाल अपने भांडागारण कारोबार के संचालन में, -

i. ऐसे माल, जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, के संबंध में ही इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करेगा ;
ii. भांडागारण धारणाधिकार के पुष्ट किए जाने के पश्चात ही धारक द्वारा की गई मांग पर इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के धारक को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद में निर्दिष्ट माल का परिदान करेगा;
iii. यह सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद धारक भांडागारपाल से माल प्राप्त होने पर, प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित प्रारूप और रीति में माल कि प्राप्ति को अभिस्वीकार करता है ।
iv. भांडागार में भंडारित माल कि गुणवत्ता और मात्रा को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा;
v. ऐसी अपेक्षाओं, जो प्राधिकरण समय-समय विनिर्दिष्ट करे, के अनुसार किसी पंजीकृत भांडागार के प्रचालन से संबन्धित सभी संव्यवहारों के अभिलेखों और लेखाओं के सम्पूर्ण और सही समुच्चय बनाए रखेगा और अभिलिखित करेगा ।
vi. यह सुनिश्चित करेगा कि वास्तविक तालिका अभिलेख के साथ ठीक मेल खाती है ।
vii. सभी पंजीकृत भांडागार भंडारण स्थान का प्रभावी नियंत्रण बनाए रखेगा;

viii. प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण और संपरीक्षाओं के निष्पादन में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा;

ix. प्रभावोत्पादक रूप से शिकायतों का समाधान करेगा;

x. भांडागार के उपयोग तथा उस तक पहुंच के बारे में जमकर्ताओं में भेद नहीं करेगा

xi. किसी पंजीकृत भांडागार में अपने स्वयं के माल को भंडारित नहीं करेगा; और

xii. अधिनियम के अधीन अनुमति को छोडकर, पंजीकृत भांडागार में जमा माल का ना तो विक्रय करेगा, हटवाएगा या उसका निपटान करेगा ।

घ) **भांडागार रसीदों में अंतर्विष्ट सूचना :-**

भांडागारपाल को यह सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा जारी सभी भांडागार रसीदों में, परक्राम्य या अन्य, अधिनियम की धारा 11 और तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और जारी की गई अधिसूचनाओं की अपेक्षाओं का अनुपालन हो ।

ङ) **ई परक्राम्य भांडागार रसीद रेपोजिटरी में अनिवार्य पंजीकृरण** – 1 अगस्त 2019 से, कोई भांडागारपाल भौतिक रूप में कोई परक्राम्य भांडागार रसीद जारी नहीं करेगा और इलेक्ट्रोनिक रूप में परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने के लिए प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक या अधिक रेपोजिटरी में पंजीकृत होगा ।

च) **सूचना का प्रकटन :-** (1) भांडागारपाल, प्राधिकरण को निम्नलिखित घटनाओं में से किसी घटना का लिखित प्रकटन करेगा, अर्थात:-

- भांडागारपाल के मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों में कोई परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन के पन्द्रह दिन के अंदर;
- भांडागारपाल के स्वामित्व या पूंजी संचरना में कोई परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन के पन्द्रह दिन के अंदर;
- त्रैमासिक आधार पर भांडागारपाल के शुद्ध मूल्य में कोई परिवर्तन;
- नियम 17 के उपनियम (2) में कथित घटनाओं में किसी घटना के घटित होने पर, उस घटना के पन्द्रह दिन के भीतर;
- किसी भांडागार में जमा माल या जमा किए गए माल के संबंध में जारी परक्राम्य भांडागार रसीद के संबंध में विवाद, आरंभ होने पर तुरंत;

- भांडागारपाल द्वारा प्रबंधित भांडागारों, चाहे वे प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, अवस्थान या क्षमता में कोई परिवर्तन होने पर तुरंत ।

  (ii) प्राधिकरण, आदेश द्वारा, भांडागारपाल से ये अपेक्षा कर सकेगा की वह कोई अतिरिक्त प्रकटन करे और ऐसे प्रारूप तथा रीति निर्धारित करे जिसमे प्रकटन किया जाना अपेक्षित है ।

(छ) **भांडागार रसीदों के बारे में सूचना प्रस्तुति -**

(i) भांडागारपाल प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए प्रारूप और रीति में, इलेक्ट्रोनिक प्रारूप के सहित, प्राधिकरण को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(ii) इस नियम के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली मासिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती मास के संबंध भांडागार रसीदों के निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :-

- जारी की गई, उन्मोचित या रद्ध की गई भांडागार रसीदों (परक्राम्य और गैर परक्राम्य) की कुल संख्या ;
- ऐसे सभी माल की, जिसे भांडागारपाल ने भांडागार रसीदें (परक्राम्य और गैर परक्राम्य) जारी की हैं, की वस्तुवार स्टॉक स्थिति;
- ऐसे सभी माल जिसे भांडागारपाल ने पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन को भांडागार रसीदें (परक्राम्य और गैर परक्राम्य) जारी की है, उसका सकल बाज़ार मूल्य; और
- बैंको और वित्तीय संस्थाओं के पास गिरवी रखी गई (इलेक्ट्रोनिक) परक्राम्य भांडागार रसीदें ।

(iii) प्राधिकरण भांडागारपाल द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों या पंजीकृत भांडागारों में भांडागारपाल द्वारा भंडारित माल के बारे में अतिरिक्त सूचना की मांग कर सकेगा ।